

कार्यालय नगर निगम सोनीपत ।

अपील

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया जा चुका है। विश्व में बढ़ते इसके प्रकोप को ध्यान में रखते हुये भारत सरकार तथा हरियाणा सरकार ने मिलकर एक पहल की है जिसमें 31 मार्च 2020 तक सोनीपत जिले को लॉक डाउन कर दिया गया है। समय रहते आप लोगों के सहयोग से हम इस लॉक डाउन के माध्यम से लोगों के आपसी सम्पर्क को कन्ट्रोल कर हम इस महामारी को आमजन तक पहुंचाने से रोक सकते है। प्रशासन आमजन के बचाव के लिये हर संभव प्रयास करने में दिन-रात तत्पर है। Disinfectants का छिडकाव शुरू कर दिया गया है। सफाई व स्वास्थ्य कर्मियों में बचाव सम्बन्धित उपकरण वितरित कर दिए गए है, जिससे उनमें बीमारी फैलने का खतरा कम से कम हो सके। जनता से अपील है कि केवल सुरक्षा सम्बन्धित चीजे जैसे मास्क, दस्ताने इत्यादि पहन कर ही बाहर निकले तथा तुरन्त वाद घर आने पर साबुन से हाथ अच्छे से धो लें।

कार्यालय में आमजन का प्रवेश 31 मार्च 2020 तक प्रतिबंध है। आवश्यक सेवाएं जैसे कि पानी, सीवर तथा सफाई से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत, सुझाव केवल

1. Toll Free Number- 18001808101, 18001208614
2. Landline Number – 0130-2260100, 0130-2243032
3. Sh. Ashok Rawat , Executive Engineer – Mob. No. 9911605723
4. Sh. Sube Singh , S.D.O. Mob No. 8607510094
5. Whats app No. – 9053018101
6. Email – secymc.sonepat@hry.nic.in , cmcsnpt@gmail.com

के माध्यम से दर्ज कराएं।

माननीय उपायुक्त महोदय, सोनीपत द्वारा महामारी अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके है। अतः आमजन को निर्देशित किया जाता है कि 5 से ज्यादा संख्या में कही भी एकत्रित ना हो तथा अनावश्यक रूप से घर के बाहर ना घुमें।



आयुक्त

नगर निगम सोनीपत